28/11/17 वकुलाय फरीकैन हाजिर।
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बाहर
गये हुए है। अतः पत्रावली अंकित
दिनांक 30/11/17 को पेश हो।

30/11/17 वकुलाय फरीकैन हाजिर। राज पैरोकार
अप्रार्थी हाजिर।

बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया है, कि मौजा तरवाड़ा तहसील आहोर खसरा नम्बर 51 व 285 प्रार्थी की खातेदारी आराजी है। जिसमें नेमा वल्द मेरा नाम दर्ज है। जिसकी जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता सं. 90 है। तथा खतौनी (बंदोबस्त) संवत 2060 से 2064 में प्रार्थी का नाम नेना वल्द मेरा दर्ज है। नेमा व नेना एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा सम्मानजनक नाम से आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड आदि नेनासिंह पुत्र मेरुसिंह नाम से बनवाये हुए है। इस कारण राजस्व अभिलेख में भी सम्मानजनक नाम को

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म

दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। अत: दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार आहोर के जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने योग्य है। अप्रार्थी तहसीलदार आहोर द्वारा भी जवाब प्रार्थना-पत्र को दोहराते हुए कथन किया है, कि प्रार्थी नैनसिंह का नाम नेमा/नेना की बजाय नैनसिंह वल्द भेरूसिंह दर्ज किया जाता है तो राजहित प्रभावित नही होने से राज्य सरकार को कोई आपत्ति नही है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन भी किया। जिसके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आहोर को आदेशित किया जाता है, कि मौजा तरवाड़ा के ख0नं0 51, 285 कुल रकबा 2.51 हैक्टर में दर्ज खातेदार नेमा वल्द भेरा के स्थान पर नैनसिंह वल्द भेरूसिंह दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल-शुदा होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आहोर, जिला-जालोर